

115116

कवीर कावी उपज
कवीर कावी के लकडाड
अंतर्गत धारा 53, 188, 92A राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विषय -
पुनिकावी उपज उत्पन्न किया, जो दुर्जरजेस्य
धा/पगावली सिंग 915116 का कम्प
मापडा/गए प्रकृत है।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

648
115116
स्वमराजगोमती

915116

पगावली जयप आपदेहार केस्य मापडा/गए प्रकृत है।
पक्षकाराय उपज
पक्षकाराय की राजीनामा के
उपयमित डिही जारी की गयी। पालना हेतु
विहारीपार का कमी जाकर पालना
दिपिने 915116 का प्रकृत है।

SPD

तेगाराम
संगी
मि.प.स.स.
संगी

915116

पगावली पंडा डुई
कमी सदर देसूरी पालना दिपिने
उच्छुत की है जो शांति मिला।
हमने पगावली एवं उत्पन्न की
डिही की पालना रिपोर्ट का अध्ययन करके पर
पायागने मापडा/गए प्रकृत है दावा डिही किया
जाना ठचित प्रतीत होता है।
अतः मापडा/गए प्रकृत है अन्तिम
डिही जारी की जाती है। विस्तृत निर्णय प्रकृत है
लिखाया जाकर सुनाया गया। डिही पर्याप्त अन्तर
केनाया जाकर पगावली बड किया जावे -

कैलाश
अरोप्य
तेगाराम

खुद हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व
अहकाम जो
की तामील में

पगाखी हसी कदूर पौज्य शुभार होकर वाड
वकमील जाव्ता खेख्य भण्डार जमाया

h
SAD

उपखण्ड अधिकारी
बेसूरी (पाली)

मिकरीर डगग्रह
(1874) मिकरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

सीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

स्व वाद संख्या : 26/2016

गण :-

1. पुत्र कानाजी कौम भील
2. सी मोडी तहसील गोगुन्दा

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. नेमाराम पुत्र वीराजी
2. मृतक चमनी पत्नी वराजी के वारीसान
 1. नेमाराम पुत्र वीराजी
 2. केवली पुत्री वीराजी
 3. बीबी पुत्री वीराजी
 4. रकमो पुत्री वीराजी
 5. सुकी पुत्री वीराजी
 6. गुटी पुत्री वीराजी
3. रामलाल पुत्र मोहन
4. तोगाराम पुत्र मोहन
5. हीरी देवी पत्नी जीवाराम
6. कैलाश पुत्र जीवाराम
7. अशोक पुत्र जीवाराम
8. शोभा देवी पत्नी गुलाबराम
9. मनीष पुत्र गुलाबराम
10. लुंगा पत्नी मांगीलाल
11. रतीया पुत्र भूरा

जातिगण मीणा निवासी राजपुरा

जस्व वाद बाबत अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

रीख रजु: 02/05/2016

पस्थित:- वादीगण एवं प्रतिवादीगण

--: निर्णय :-

दिनांक:- 09/05/2016

“लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत मांडीगढ़ पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट” में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान कश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्धगण प्रतिवादी प्रस्तुत कर वेदन किया कि मौजा ग्राम राजपुरा पटवार हल्का मांडीगढ़ के खसरा नम्बर 758,759,761 से 766 कुल खसरा 8 रकबा 3.08 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करने हेतु वाद प्रस्तुत किया

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं पटवारी हल्का मांडीगढ़ एवं म.अ.नि. गुडा जाटान एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत माफिक मौका स्थिति बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर वाद में डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

--: आदेश :-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है के मौजा ग्राम राजपुरा पटवार हल्का मांडीगढ़ के खसरा नम्बर 758,759,761 से 766 कुल खसरा 8 रकबा 3.08 माफिक मौका स्थिति राजीनामा बंटवारा निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

खसरा	रकबा	किस्म	लगान
नेमाराम पुत्र कानाजी कौम भील सा. सी मोडी तह. गोगुन्दा खातेदार के नाम ग्राम राजपुरा पटवार वृत मांडीगढ़ के	759	0.12 है.	न.अ. 2.04
कुल खसरा	1	0.12 है.	न.अ. 2.04
नेमाराम पुत्र वीराजी, चमनी पत्नी	758	0.51 है.	न.अ. 8.67
वीराजी, रामलाल पुत्र मोहन, तोगाराम	759/1	0.51 है.	न.अ. 8.67
पुत्र मोहन कौम मेणा, हीरी देवी	761	0.71 है.	न.अ. 12.07
पत्नी जीवाराम, कैलाश, अशोक पि.	762	0.54 है.	चा.दो. 0.44 जा.दो. 0.10 13.20
जीवाराम, शोभा देवी पत्नी	763	0.44 है.	चा.दो. 0.40 जा.दो. 0.04 1.00
गुलाबराम, मनीष पुत्र गुलाबराम, नाबा.	764	0.01 है.	गे.सु. 12.00
की वली माता शोभा देवी, लुंगा पत्नी	765	0.05 है.	जा.दो. 0.04 गे.सु. 0.40
मांगीलाल, रतीया पुत्र भूरा कौम मेणा	766	0.19 है.	गे.सु. 5.70
सा. देह खातेदार नेमाराम पुत्र			
वीराजी व चमनी पत्नी वीराजी का			
हिस्सा को. बैक शाखा सादडी			
मुर्तहीन के नाम ग्राम राजपुरा			
पटवार वृत मांडीगढ़ के	8	2.96 है.	- 61.71

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। रहन का इन्द्राज बदस्तुर अपने-अपने हिस्सानुसार रहेगा निर्णय, डिक्री पर्चा की प्रति, नक्शे की प्रतिलिपी तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतु भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,
देसूरी
जिला (पाली) (राज0)

निर्णय आज दिनांक 09/05/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र मांडीगढ़ में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- देसूरी
 बईजलास :- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0
 वादीगण :- बनाम
 खेमा पुत्र कानाजी कौम भील
 निवासी मोडी तहसील गोगुन्दा

प्रतिवादीगण:-

1. नेमाराम पुत्र वीराजी
2. मृतक चमनी पत्नी वराजी के वारीसान
 1. नेमाराम पुत्र वीराजी
 2. केवली पुत्री वीराजी
 3. बीबी पुत्री वीराजी
 4. रकमो पुत्री वीराजी
 5. सुकी पुत्री वीराजी
 6. गुटी पुत्री वीराजी
3. रामलाल पुत्र मोहन
4. तोगाराम पुत्र मोहन
5. हीरी देवी पत्नी जीवाराम
6. कैलश पुत्र जीवाराम
7. अशोक पुत्र जीवाराम
8. शोभा देवी पत्नी गुलाबराम
9. मनीष पुत्र गुलाबराम
10. लुंगा पत्नी मांगीलाल
11. रतीया पुत्र भूरा

राजस्व वाद बाबत घोषणा, मु0न0 :रा0वा0 स0: 26/2016
 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी
 वादीगण मिनजानिब मुखई व प्रतिवादीगण मिनजानिब
 मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर
 की सादिर की जाती है कि अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती
 है कि मौजा ग्राम राजपुरा पटवार हल्का मांडीगढ़ के खसरा नम्बर 758,759,761 से 766 कुल
 पत्रसरा 8 रकबा 3.08 माफिक मौका स्थिति राजीनामा बंटवारा निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये
 जाते हैं:-

खेमा पुत्र कानाजी कौम भील सा. मोडी तह. गोगुन्दा खातेदार के नाम ग्राम राजपुरा पटवार वृत्त मांडीगढ़ के	खसरा 759	रकबा 0.12 है.	किस्म न.अ.	लगान 2.04
कुल खसरा	1	0.12 है.	न.अ.	2.04
नेमाराम पुत्र वीराजी, चमनी पत्नी	758	0.51 है.	न.अ.	8.67
वीराजी, रामलाल पुत्र मोहन, तोगाराम	759/1	0.51 है.	न.अ.	8.67
पुत्र मोहन कौम मेणा, हीरी देवी	761	0.71 है.	न.अ.	12.07
पत्नी जीवाराम, कैलाश, अशोक पि.	762	0.54 है.	चा.दो. 0.44 जा.दो. 0.10	13.20 1.00
जीवाराम, शोभा देवी पत्नी	763	0.44 है..	चा.दो. 0.40 जा.दो. 0.04	12.00 0.40
गुलाबराम, मनीष पुत्र गुलाबराम, नाबा. की पत्नी माता शोभा देवी, लुंगा पत्नी	764	0.01 है.	गे.सु.	
मांगीलाल, रतीया पुत्र भूरा कौम मेणा	765	0.05 है.	गे.सु.	
सा. देह खातेदार नेमाराम पुत्र	766	0.19 है.	चा.दो.	5.70
वीराजी व चमनी पत्नी वीराजी का हिरसा को. बैंक शाखा सादई				
मुर्तहीन के नाम ग्राम राजपुरा पटवार वृत्त मांडीगढ़ के	8	2.96 है.	-	61.71

तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान
 अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। रहन का इन्द्राज बदस्तुर अपने-अपने हिस्सानुसार रहेगा निर्णय, डिक्री
 पर्चा की प्रति, नक्शे की प्रतिलिपी तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतु भेजकर पालना मंगवाई जावें।
 पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा
 भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना
 आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिदत मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर मांडीगढ़ के आज तारीख
 09/05/2016 को जारी किया गया।
 मोहर

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
 (जिल्म-पाली)
 देसूरी (पाली)

मुखई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:- मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं
 दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी